विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

अभ्यावेदन प्रकरण क्रमांक L0023112

(1) जनरल मैनेजर, — आवेदक
ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
यूनिट विक्रम सीमेन्ट,
विक्रम नगर, खोर,
जिला – नीमच – 458470

विरूद्ध

मुख्य यंत्री (कामर्शियल),
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
इन्दौर (म.प्र.)

मुख्य यंत्री (यू.आर.),
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
उज्जैन (म.प्र.)

अधीक्षण यंत्री (सचा./संधा.),
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
नीमच (म.प्र.) – 458470 — अनावेदकगण

अभ्यावेदन प्रकरण क्रमांक L0023412

(2) जनरल मैनेजर, — आवेदक
सीमेन्ट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया,
''नयागांव सीमेन्ट फैक्ट्री'' नयागांव,
जिला – मंदसौर (म.प्र.)
पिन कोड – 458468

विरूद्ध

मुख्य यंत्री (कामर्शियल),
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
इन्दौर (म.प्र.)

मुख्य यंत्री (यू.आर.),
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
उज्जैन (म.प्र.)

अधीक्षण यंत्री (सचा./संधा.),
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
नीमच (म.प्र.) – 458470 – अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 29.03.2014 को पारित)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर तथा उज्जैन क्षेत्र (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया जावेगा) के शिकायत प्रकरण क्रमांक W01272/10 ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड विरूद्ध मुख्य यंत्री में पारित आदेश दिनांक 09.12.2011 तथा शिकायत प्रकरण क्रमांक W01274/10 सीमेन्ट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड विरूद्ध चीफ इंजीनियर में पारित आदेश दिनांक 09.12.2011 के विरूद्ध आवेदक/उपभोक्ता गण की ओर से उक्त अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए हैं । दोनों अभ्यावेदनों में विधि के प्रश्न एक समान है, अतः दोनों अभ्यावेदनों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है ।

2. शिकायत प्रकरण क्रमांक W01272/10 ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड में उपभोक्ता ने अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा माह सितम्बर 1995, दिसम्बर 1995, नवम्बर 1996, अप्रैल 1997 तथा मई 1997 में जारी किए गए विद्युत देयकों के संबंध में फोरम के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा टैरिफ मिनिमम चार्जेज को सम्मिलित कर जो देयक जारी किए गए हैं वह उचित नहीं है, क्योंकि उक्त महीनों में अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा उसे पर्याप्त मात्रा में विद्युत की आपूर्ति नहीं की गई थी, जिसके कारण वह विद्युत का उपयोग करने में असफल रहा था, अतः उससे मिनिमम चार्जेज के रूप में राशि की वसूली नहीं की जा सकती है । इसके अतिरिक्त उसके द्वारा मिनिमम चार्जेज के रूप में राशि जमा न करने पर ऐसी राशि के संबंध में जो अधिभार लिया गया है वह अधिभार भी उससे वसूली किए जाने योग्य नहीं है । शिकायत प्रकरण क्रमांक W01274/10 में आवेदक उपभोक्ता सीमेन्ट कारपोरेशन ने अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के विरूद्ध इस आशय की शिकायत की थी कि दिसम्बर 1994, जनवरी 1995, फरवरी 1995, अप्रैल 1995, जून 1995, जुलाई 1995, अगस्त 1995, सितम्बर 1995 तथा अक्टूबर 1995 में टैरिफ मिनिमम चार्जेज को सम्मिलित कर उसे जो देयक जारी किए गए हैं वह उचित नहीं हैं, क्योंकि उक्त महीनों में

अनावेदक द्वारा पर्याप्त मात्रा में विद्युत की आपूर्ति न किए जाने के कारण वह विद्युत का उपयोग करने में असफल रहा है, अतः उससे टैरिफ मिनिमम चार्जेज के रूप में राशि वसूल नहीं की जा सकती है । इसके अतिरिक्त उपभोक्ता द्वारा यह आपत्ति भी की गई है कि टैरिफ मिनिमम चार्ज की राशि जमा न करने पर उक्त राशि के संबंध में उससे जो अधिभार लिया जा रहा है वह अधिभार लेने के लिए अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी प्राधिकृत नहीं है, उससे ऐसी राशि वसूल न की जा सकती है ।

3. अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा उपभोक्तागण की ओर से प्रस्तुत उक्त शिकायत के संबंध में मुख्य आपत्ति यह की गई है कि उपभोक्ता तथा विद्युत वितरण कम्पनी के मध्य जो अनुबंध हुआ था उस अनुबंध की शर्तों के अनुसार उपभोक्ता को एक निश्चित मात्रा में विद्युत का उपयोग प्रत्येक माह करना था । ऐसी निर्धारित मात्रा में यदि उपभोक्ता द्वारा विद्युत का उपयोग नहीं किया गया था, उस स्थिति में वह अनुबंध की शर्तों के अनुसार टैरिफ मिनिमम चार्ज अदा करने के लिए बाध्य था, अतः विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा टैरिफ मिनिमम चार्ज के रूप में जो देयक उपभोक्ता को दिए गए हैं वह विधिसंगत है । उपभोक्ता द्वारा टैरिफ मिनिमम चार्ज की राशि जमा न करने पर उससे नियमानुसार अधिभार लिया गया है, ऐसा अधिभार लेने के लिए अनावेदक प्राधिकृत है । अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के द्वारा यह जानकारी भी दी गई है कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार उपभोक्ता से संविदा मांग के अनुरूप टैरिफ मिनिमम चार्ज लिया जाना था । इसके अतिरिक्त उपभोक्ता को प्रत्येक माह जितनी मात्रा में विद्युत की आपूर्ति की गई है उस मात्रा का उपभोग यदि उपभोक्ता द्वारा किया जाता तो वह अनुबंध की शर्तों के अनुसार निर्धारित विद्युत का उपयोग कर सकता था, परन्तु उपभोक्ता द्वारा विद्युत का उपयोग नहीं किया गया है ।

4. दोनों उपभोक्ताओं की शिकायतों के संबंध में फोरम ने अपने आदेश में विस्तार से विवेचना करते हुए यह निष्कर्ष दिया है कि प्रत्येक माह में उपभोक्ता को जितनी मात्रा में विद्युत का प्रदाय किया गया है उस मात्रा के परिपेक्ष्य में यदि उपभोक्ता द्वारा विद्युत का उपयोग किया जाता तो अनुबंध की शर्तों के अनुसार वह प्रत्येक माह के लिए निर्धारित न्यूनतम विद्युत का उपयोग कर सकता था, अतः वह टैरिफ मिनिमम चार्ज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है ।

5. उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन के संबंध में तर्क सुने जाने पर उपभोक्ता की ओर से मुख्य रूप से यह तर्क किए गए हैं कि प्रत्येक माह अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के द्वारा जिस मात्रा में उसे विद्युत का प्रदाय किया गया है उस मात्रा के अनुपात में न्यूनतम विद्युत का उपयोग

किए जाने की संगणना किया जाना चाहिए और यदि इस तरह संगणना की जाए तब उपभोक्ता द्वारा ऐसी न्यूनतम मात्रा का उपयोग किया जाना पाया जाता है, अतः उससे टैरिफ मिनिमम चार्जेज के रूप में राशि वसूल नहीं की जा सकती है । उपभोक्ता के द्वारा जितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा की खपत की गई है उतनी मात्रा में विद्युत शुल्क की वसूली ही उससे की जा सकती है । इसके विपरीत अनावेदक की ओर से यह तर्क किया गया है कि टैरिफ मिनिमम चार्जेज की राशि का निर्धारण विद्युत आपूर्ति पर निर्भर नहीं करता है, अपितु इस संबंध में समय–समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार टैरिफ मिनिमम चार्जेज की संगणना की जानी है । समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार ही टैरिफ मिनिमम चार्जेज की संगणना की गई है और उपभोक्ता द्वारा ऐसे टैरिफ मिनिमम चार्जेज की राशि जमा न किए जाने पर उससे नियमानुसार अधिभार लिया गया है ।

6. उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्क और इस संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों के परिपेक्ष्य में मुख्य रूप से विचारणीय प्रश्न यह है कि :–

(1) क्या उपभोक्तागण से टैरिफ मिनिमम चार्जेज की राशि वसूली योग्य है ?

(2) क्या टैरिफ मिनिमम चार्जेज की राशि उपभोक्ता द्वारा जमा न करने पर उक्त राशि पर अनावेदक उपभोक्ता से अधिभार वसूल करने के लिए प्राधिकृत है ? ।

<u>कारणों सहित आदेश इस प्रकार है :–</u>

7. **विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 तथा 2 का विवेचन :** दोनों प्रश्न पारस्परिक रूप से संबंधित है, अतः उनका एक साथ विवेचन किया जाता है । इन तथ्यों के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि जब उपभोक्ता ने विद्युत प्रदान करने के लिए मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल से अनुबंध किया था उस समय भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 प्रभावशील नहीं था । भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के प्रभावशील न होने के कारण मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग तथा आयोग द्वारा समय–समय पर विद्युत का प्रदाय करने के संबंध में जारी किए गए नियम भी प्रभावशील नहीं थे तथा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42 की उपधारा 5 एवं 6 के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण करने के लिए फोरम तथा विद्युत लोकपाल का अस्तित्व नहीं था । उपभोक्ता ने शिकायतों का निराकरण करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं प्रस्तुत की थी । ऐसी रिट याचिकाओं का निराकरण करते हुए माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने उपभोक्ता को अपनी शिकायत को फोरम के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे । ऐसे निर्देश विद्युत अधिनियम 2003 के प्रभावशील होने के पश्चात दिए गए थे, अतः उपभोक्तागण द्वारा फोरम के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करने पर ऐसी शिकायतों का निराकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर द्वारा किया गया है । फोरम द्वारा ऐसी शिकायतों का निराकरण किए जाने के बाद फोरम के

आदेश से व्यथित होकर उपभोक्तागण की ओर से विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रश्नगत अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए हैं ।

8. उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में उपभोक्ता की शिकायतों का निराकरण विद्युत अधिनियम 1910 तथा समय समय पर बनाए गए अधिनियमों और निर्देशों के परिपेक्ष्य में किया जाना है ।

9. विद्युत का उपयोग करने वाले दोनों उपभोक्ताओं ने विद्युत प्रदाय हेतु मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल से अनुबंध किया था । उक्त अनुबंध की शर्तों के अनुसार मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल द्वारा उपभोक्ताओं को विद्युत का प्रदाय किया जाना था तथा मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल द्वारा निर्धारित विद्युत दरों के अनुसार उपभोक्ता को विद्युत ऊर्जा का शुल्क विद्युत मण्डल को अदा करना था, इस संबंध में मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल द्वारा समय समय पर जो अधिसूचनाएं जारी की गई थी उनका अवलोकन किया जाना उचित होगा ।

10. वर्ष 1993 में मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल ने जो अधिसूचना जारी की थी उसका सुसंगत अंश इस प्रकार है :–

मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल

अधिसूचना

132 के.व्ही./220 के.व्ही. पर विद्युत प्रदाय हेतु उच्च दाब विद्युत दरें

क्रमांक : 5/जीए/188/बी–1 जबलपुर, दिनांक : 30 सितंबर, 93.

विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948) 1948 का अधिनियम क्रमांक 54) की धारा – 49 के अंर्तगत प्रदत्त शक्यिों एवं इस निमित्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल, अक्टूबर 1993 से अर्थात अक्टूबर, 1993 में प्रदाय की गई तथा नवंबर, 1993 में बिल की गई विद्युत हेतु मण्डल द्वारा विद्युत प्रदाय किये जाने वाले सभी क्षेत्रों में 132 के.व्ही./220 के.व्ही. पर प्रदाय हेतु नीचे दर्शायी गयी विद्युत दरें प्रभावयुक्त करता है । इन विद्युत दरों के प्रभावशील होते ही अधिसूचना क्रमांक 5/जीए/185/बी–1, दिनांक 31 जुलाई, 1990 द्वारा अधिसूचित एवं समय–समय पर संशोधित 132 के.व्ही./220 के.व्ही. पर प्रदाय हेतु वर्तमान उच्च दाब विद्युत दरों को निष्प्रभावित किया जाता है तथा वे आगे प्रभावशील नहीं रहेंगी ।

अ. **<u>कोल माईन्स हेतु विद्युत दरें :</u>**

दर न्यूनतम प्रभार : –

ब. **<u>सीमेंट फैक्ट्रियों हेतु विद्युत दरें</u>** :

मांग प्रभार :		
बिलिंग मांग के प्रति के.व्ही.ए. पर	रूपये 76.00	प्रति के.व्ही.ए. प्रतिमाह
तथा		
ऊर्जा प्रभार :		
प्रति माह उपभोग की गई समस्त यूनिटों हेतु	184.00	पैसे प्रति यूनिट

दर न्यूनतम प्रभार : –

उपभोक्ता संविदा मांग (कान्ट्रेक्ट डिमांड) पर 40 प्रतिशत (चालीस प्रतिशत) लोड फैक्टर के तुल्य यूनिटों (किलो वाट अवर्स) के लिय न्यूनतम मासिक खपत की प्रत्याभूति (गारंटी) देगा । उपभोक्ता माह में इस प्रत्याभूत न्यूनतम मासिक खपत पर प्रभार तथा उस माह की बिलिंग मांग पर मांग प्रभार के योग का भुगतान, न्यूनतम मासिक भुगतान के रूप में करेगा चाहे उसके द्वारा माह में ऊर्जा की खपत की गई हो अथवा नहीं । संविदा मांग पर 40 प्रतिशत लोड फैक्टर के तुल्य यूनिटों की गणना हेतु औसत मासिक पावर फैक्टर 0.90 प्रयुक्त (एप्लाई) किया जावेगा ।

टिप्पणी :

भले ही उपभोक्ता द्वारा मण्डल के साथ निष्पादित अनुबंध में कोई विपरीत प्रावधान हो उपरोक्त विद्युत दरें उपभोक्ता के परिसर में होने वाली संपूर्ण विद्युत खपत जिसमें फैक्ट्री या माईन विशेष के अंदर या बाहर प्रकाश व संवातन (वेन्टीलेशन) हेतु की गई खपत तथा घरेलू उपयोग हेतु की गयी खपत शामिल है, पर लागू होंगी ।

सभी पूर्वगामी विद्युत दरें परिशिष्ट में उल्लिखित शर्तों के अधीन है ।

मण्डल के आदेशानुसार

(व्ही.के. ब्राम्हणकर)
सदस्य (सिविल) – सचिव
मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल
जबलपुर.

11. उक्त अधिसूचना का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता के लिए यह आवश्यक था कि वह संविदा मांग के 40 प्रतिशत लोड की प्रत्येक माह गारन्टी देगा । उस माह उसके द्वारा उक्त

40 प्रतिशत लोड के ऊर्जा की खपत की गई हो अथवा नहीं की गई हो, परन्तु संविदा मांग पर 40 प्रतिशत लोड फेक्टर के समतुल्य यूनिटों की वसूली उससे किया जाना आवश्यक था ।

12. वर्ष 1993 में जारी की गई अधिसूचना में वर्ष 1994, वर्ष 1996 में समय समय पर संशोधन किए गए, परन्तु ऐसे संशोधनों का संबंध विद्युत दरों से था । जहां तक न्यूनतम प्रभार का प्रश्न था इस संबंध में कोई तात्विक संशोधन नहीं किया गया, जिससे यही निष्कर्ष निकलता है कि उपभोक्ता द्वारा प्रत्येक माह ऊर्जा की खपत की जाए अथवा न की जाए उसे संविदा मांग के 40 प्रतिशत लोड फेक्टर में दिखाई यूनिटों के लिए न्यूनतम मासिक खपत की प्रत्याभूति देना आवश्यक था । उक्त अधिसूचना का अवलोकन करने से उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत इस तर्क का समर्थन नहीं होता है कि उपभोक्ता को प्रत्येक माह जितनी मात्रा में विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाएगी उस मात्रा के अनुपात में न्यूनतम प्रभार की संगणना किया जाना है ।

13. दोनों उपभोक्ताओं ने मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल से 132 के.वी./220 के.वी. पर विद्युत प्रदाय हेतु अनुबंध किया था । दोनों उपभोक्ताओं की संविदा मांग 48000 के.वी.ए. थी, अतः उक्त संविदा मांग पर 40 प्रतिशत लोड फेक्टर के तुल्य यूनिटों के लिए न्यूनतम मासिक खपत की प्रत्याभूति उपभोक्ता को देना आवश्यक था, अतः प्रत्येक माह संविदा मांग के 40 प्रतिशत लोड फेक्टर के तुल्य यूनिटों की गणना किया जाना आवश्यक था । उपभोक्ता ने जिस माह 40 प्रतिशत लोड फेक्टर के तुल्य यूनिटों से कम यूनिट की विद्युत ऊर्जा का उपभोग किया था उस महीने उससे 40 प्रतिशत लोड फेक्टर के तुल्य यूनिटों तथा वास्तविक रूप से उपयोग किए गए यूनिटों के अंतर के समतुल्य यूनिटों को न्यूनतम प्रभार के रूप में लिया गया था । ऐसा न्यूनतम प्रभार मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल द्वारा जारी तत्समय अधिसूचना में निर्धारित विद्युत दरों से अधिक था, ऐसी आपत्ति उपभोक्ता द्वारा नहीं की गई है, अतः यह सिद्ध होता है कि अनावेदकगण की ओर से उपभोक्ता को उक्त माहों के लिए जो विद्युत देयक जारी किए गए थे वह मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल द्वारा तत्समय जारी की गई अधिसूचना में निर्धारित विद्युत दरों के अनुपात में थे ।

14. फोरम के समक्ष उपभोक्ता की ओर से दस्तावेजों की सूची प्रस्तुत की गई थी उन दस्तावेजों के आधार पर उपभोक्ता की ओर से यह बताने का प्रयास किया गया है कि मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल द्वारा उसे जिस मात्रा में विद्युत प्रदान की गई है उस मात्रा में वह पूरी क्षमता से सीमेण्ट फैक्ट्री को संचालित नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण वह संविदा मांग का 40 प्रतिशत लोड उपयोग करने में असफल रहा था। उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत इस तर्क के परिपेक्ष्य में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि दोनों पक्षों के मध्य जो अनुबंध निष्पादित हुआ था उस अनुबंध में क्या ऐसी शर्त थी कि न्यूनतम प्रभार की संगणना उपभोक्ता को प्रदान की जाने वाली विद्युत मात्रा पर निर्भर होगी । दोनों उपभोक्ताओं की ओर से जो अनुबंध प्रस्तुत किया

गया है उसका अवलोकन करने से यह कहीं से स्पष्ट नहीं होता कि न्यूनतम प्रभार की संगणना उपभोक्ता को प्रदान की जाने वाली विद्युत की मात्रा पर निर्भर होगी । इसके विपरीत अनुबंध में यही शर्त अभिलिखित है कि विद्युत दरों की संगणना मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचना के आधार पर संगणित की जाएगी तथा न्यूनतम प्रभार की संगणना भी इसी अनुसार होगी । मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल द्वारा जो विद्युत दरें समय समय पर अधिसूचित की गई है और सीमेण्ट फैक्टरियों के लिए जो न्यूनतम प्रभार निर्धारित किया गया है उसी के अनुसार उपभोक्ता से न्यूनतम प्रभार की संगणना अनावेदक मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल के अधिकारियों द्वारा किया जाना सिद्ध होता है । उपभोक्ता को जो देयक जारी किए गए हैं और जो न्यूनतम प्रभार निर्धारित किया गया है वह मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल द्वारा जारी अधिसूचना पर आधारित है । उपभोक्ता तथा मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल के मध्य जो अनुबंध हुआ था उस अनुबंध के अनुसार संविदा मांग पर 40 प्रतिशत लोड फैक्टर के तुल्य यूनिटों के लिए न्यूनतम मासिक खपत की प्रत्याभूति देना उपभोक्ता के लिए आवश्यक था । मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल द्वारा प्रत्येक माह प्रदान की जाने वाली विद्युत ऊर्जा की मात्रा पर न्यूनतम मासिक खपत की संगणना नहीं किया जाना था, ऐसी स्थिति में संविदा मांग के आधार पर न्यूनतम प्रभार की जो संगणना की गई है वह उचित तथा तर्कसंगत प्रतीत होती है, ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत तर्क विधिक तथ्यों के परिपेक्ष्य में उचित प्रतीत नहीं होता है ।

15. अब हम उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत इस तर्क पर भी विचार करते हैं, उससे जो न्यूनतम प्रभार लिए जाने के लिए देयक जारी किए गए थे उस न्यूनतम प्रभार की राशि को उपभोक्ता द्वारा जमा न करने के कारण क्या न्यूनतम प्रभार की राशि पर अधिभार लेने के लिए अनावेदक प्राधिकृत है अथवा नहीं ?

16. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि उपभोक्ता को जो देयक जारी किए जाते थे उन देयक में वर्णित पूरी राशि को जमा करने के लिए उपभोक्ता उत्तरदायी था । उपभोक्ता द्वारा वास्तविक रूप से उपयोग की गई ऊर्जा के यूनिट का देयक तथा न्यूनतम प्रभार पृथक–पृथक नहीं थे, ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को जो देयक जारी किए गए थे उस देयक में वर्णित पूरी राशि का प्रत्येक माह उपभोक्ता को भुगतान करना आवश्यक था । उपभोक्ता द्वारा यदि किसी महीने की पूरी राशि को जमा नहीं किया गया था तो ऐसी शेष राशि पर अधिभार लेने का अधिकार अनावेदक को था । अनावेदक न्यूनतम प्रभार की राशि जमा न करने पर अधिभार लेने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, ऐसा कोई विधिक प्रावधान उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत यह तर्क भी विधिसंगत नहीं है कि न्यूनतम प्रभार की राशि पर अधिभार भुगतान करने के लिए वह उत्तरदायी नहीं है ।

: निष्कर्ष :

17. उपरोक्त विवेचना से यह पाया जाता है कि न्यूनतम प्रभार से छूट प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता की ओर से जो आधार लिए गए हैं वह विधि के परिपेक्ष्य में तर्कसंगत नहीं है । न्यूनतम प्रभार की राशि पर अधिभार का भुगतान करने के लिए उपभोक्ता बाध्य नहीं है, इस तथ्य के संबंध में भी उपभोक्ता की ओर से कोई विधिक प्रावधान प्रस्तुत नहीं किया गया है । विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में यह सिद्ध होता है कि उपभोक्ता न्यूनतम प्रभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है तथा न्यूनतम प्रभार की राशि का भुगतान न करने पर वह ऐसी राशि के लिए अधिभार का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी है, अतः दोनों उपभोक्तागण की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन निरस्त किए जाते हैं । फोरम के आदेश की पुष्टि की जाती है।

18. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को नियमानुसार दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदकगण की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदकगण की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल